वित्त निर्देश- 21 / 2007

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग,
मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 144 /97/वित्त/नियम/चार/2007, रायपुर, दिनांक 05.06.2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः -राज्य शासन के निगमों/उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निकायों आदि में संविलियनित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कम्यूट की गई पेंशन के 1/3 हिस्से का प्रत्यावर्तन [RESTORATION]

वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.बी.17/1/आर-2/1/55, दिनांक 31.07. 1985 के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन का कम्प्यूटेशन) नियम-1976 के प्रावधानों के अंतर्गत जिन पेंशनरों ने अपने पेंशन का 1/3 हिस्सा कम्यूट करवाया है, उनके द्वारा 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने के अगले माह से पेंशन का कम्यूट किया गया हिस्सा प्रत्यावर्तित किया जाता है ।यह व्यवस्था दिनांक 1.7.1985 से प्रभावशील है । छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन का कम्प्यूटेशन) नियम 1996 में दिनांक 18.2.2000 से संशोधन के फलस्वरूप ऐसे किसी भी पेंशनर का, जिसने उसकी पेंशन का एक भाग कम्यूट किया हो, उस माह के जिसमें वह 75 वर्ष की आयु पूर्ण करता है या सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष के पश्चात्, जो भी पश्चातवर्ती हो, उसके आगामी माह के प्रथम दिन को उसकी पेंशन का कम्यूट किया गया हिस्सा प्रत्यावर्तित [Restore] हो जायेगा ।

2. राज्य शासन के निगमों/उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निकायों आदि में संविलियनित सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्होनें संविलियन की तिथि पर अपनी संपूर्ण पेंशन के 1/3 हिस्से के कम्यूटेड मूल्य के साथ 2/3 पेंशन को समर्पित करते हुए एक मुश्त राशि (अर्थात 100% कम्यूटेड मूल्य) प्राप्त कर लिया है, उन्हें वित्त विभाग के उक्त ज्ञाप दिनांक 31.7.1985 के अनुसार पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन **[RESTORATION]** की पात्रता नहीं है । केन्द्र सरकार ने ऐसे पेंशन भोगियों के जिनका संविलियन केन्द्र सरकार के निगमों/उपक्रमों में हुआ है एवं

जिन्होनें 1/3 हिस्से के कम्यूटेड मूल्य के साथ 2/3 पेंशन को समर्पित करते हुए एक मुश्त राशि (अर्थात 100% कम्यूटेड मूल्य) प्राप्त कर लिया था उनकी 1/3 पेंशन को दिनांक 1.4.1985 अथवा कम्यूटेशन की तारीख से 15 वर्ष, जो भी बाद में हो, से प्रत्यावर्तित [Restore] करने का निर्णय लिया है ।

3. शासन ने विचारोपरांत निर्णय लिया है कि ऐसे संविलियनित सेवानिवृत्त कर्मचारियों जिन्होनें अपनी पेंशन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(पेंशन का कम्यूटेशन) नियम 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत कम्यूट कराई है, को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर एवं दिनांक 18.2.2000 के बाद के मामलों में 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने या सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष के पश्चात् जो भी पश्चातवर्ती हो, उसके आगामी मास के प्रथम दिन से पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन **[RESTORATION]** का लाभ दिया जाये ।

4. राज्य शासन के ऐसे संविलियनित सेवानिवृत्त कर्मचारी जो केन्द्र/राज्य शासन के निगम/उपक्रम/स्वशासी संस्था/मंडल/निकाय आदि में संविलियनित हुए है, जहां पेंशन की योजना संचालित है एवं जिनके मामलों में 100% कम्यूटेड मूल्य जमा किया जाकर राज्य शासन की सेवा को सम्मिलित कर निगम/उपक्रम/स्वशासी संस्था/मंडल/निकाय आदि से पेंशनरी लाभ प्राप्त किए है, उन्हें राज्य शासन की सेवा की पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन **[RESTORATION]** का लाभ देय नहीं होगा ।

5. राज्य शासन के निगमों/उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निकायों आदि में संविलियनित ऐसे कर्मचारियों को कम्यूट की गई पेंशन के 1/3 हिस्से को प्रत्यावर्तित [Restore] करने के लिए संलग्न प्ररूप में अपने उस कार्यालय को जहां से सेवानिवृत्त होकर पेंशन का कम्यूटेड मूल्य प्राप्त किया है, आवेदन करना होगा।

6. ऐसे प्रकरणों में जहां संविलियनित शासकीय सेवक जिन्होनें दिनांक 1.7.1985 को अथवा उसके पश्चात कम्यूटेशन के दिनांक से 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और बाद में उनकी मृत्यु हो गई है, उसके वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा निर्धारित प्ररूप में आवेदन करने पर दिनांक 1.7.85 अथवा कम्यूटेशन के दिनांक से 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने के दिनांक से, जो भी बाद में हो, संविलियनित कर्मचारी की मृत्यु की दिनांक तक एरियर्स प्राप्त करने के पात्र होगें । इस प्रयोजन हेतु वैद्य उत्तराधिकारियों को उस कार्यालय को निर्धारित प्ररूप में आवेदन करना होगा जहां से संविलियनित कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ था ।

7. संबंधित कार्यालय पेंशनर के स्वत्व का सुसंगत अभिलेखों से सत्यापन कर संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन को भुगतान आदेश [P.P.O.] जारी करने के लिए प्रकरण प्रेषित करेगा ।

8. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर पेंशन के 1/3 प्रत्यावर्तित हिस्से का पेंशन भुगतान आदेश [P.P.O.] जारी करेगा ।

9. संविलियन के समय स्वीकृत मूल पेंशन काल्पनिक रूप से वित्त विभाग के निम्नलिखित आदेशों के प्रकाश में पुनरीक्षित की जावेगी –

1. एफ.बी.-6-3(iii)-87/नियम-2/चार, दिनांक 27.10.87
2. एफ.बी.-6-1/89/आर-II/IV, दिनांक 25.01.89
3. एफ.बी.-6/4/88/नि-2/चार, दिनांक 31.3.1989
4. एफ.बी.-6-1(i)/90/आर- II/IV, दिनांक 23.01.1990
5. एफ.बी.-6/(iii)/90/आर- II/IV, दिनांक 5.02.1990
6. बी-25/6/98/pwc/IV (भाग-2) दिनांक 14 जुलाई, 1998

उपरोक्त आदेशों के अनुसार पुनरीक्षित की गई पेंशन के 1/3 हिस्से की गणना कर प्रत्यावर्तन **[RESTORATION]** की कार्यवाही की जावेगी । कम्यूटेड पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन **[RESTORATION]** के दिनांक पर न्यूनतम पेंशन का लाभ अनुज्ञेय नही होगा । अर्थात गणना करने पर कम्यूटेड पेंशन का 1/3 हिस्सा न्यूनतम पेंशन से कम आता है तो कम राशि की ही पात्रता होगी ।

10. पुनरीक्षित पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन **[RESTORATION]** का लाभ कम्यूटेड हिस्से के प्रत्यावर्तन **[RESTORATION]** के दिनांक से देय होगा ।

11. महंगाई राहत पुनरीक्षित पूरी पेंशन [Full Pension] पर देय होगी अर्थात वह पुनरीक्षित पेंशन जो संविलिनियत कर्मचारी की 1/3 कम्यूटेड हिस्से के प्रत्यावर्तन **[RESTORATION]** के दिनांक को प्राप्त हुई होती यदि उसने संविलियन पर एक मुश्त भुगतान प्राप्त न किया होता।

12. पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी द्वारा इन प्रकरणों में भुगतान अधिकृत किये जाने हेतु पी.पी.ओ. तैयार करते समय पी.पी.ओ. के ऊपर स्पष्टत: “ निगमों/उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निकायों आदि में संविलियनित” लिखा जाय तथा पी.पी.ओ. में मूलत: स्वीकृत पूरी पेंशन एवं पेंशन के 1/3 कम्यूटेड हिस्से का भी उल्लेख किया जाय ।

13. कम्यूटेड पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन **[RESTORATION]** के मामलों में संविलिनियत कर्मचारी के परिवार के सदस्य राज्य शासन से परिवार पेंशन की

मांग करने के पात्र नहीं होगें क्योंकि शासकीय सेवक के संविलियन पर परिवार पेंशन की पात्रता के संबंध में शासकीय सेवक पृथक निदेर्शो से शासित होते है । अत: यह सुनिश्चित किया जाय कि संविलिनियत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के पी.पी.ओ. में परिवार पेंशन भुगतान के बारे में कोई उल्लेख न किया जाय ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रति,

…………………

…………………

विभाग/कार्यालय का नाम

(पेंशन स्वीकृत कर्ता अधिकारी)

विषयः– राज्य शासन के निगमों/उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निकायों आदि में संविलियनित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कम्यूट की गई पेंशन के 1/3 हिस्से का प्रत्यावर्तन **[RESTORATION]**

(……………………………………………………………………)

महोदय,

मेरे द्वारा ……………………………………(संस्था का नाम) में संविलियन पर 100 प्रतिशत कम्यूटेड मूल्य की राशि एक मुश्त प्राप्त की गई है। वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक………………………………दिनांक…………… में निहित शर्तो के अधीन कम्यूट की गई पेंशन का 1/3 हिस्सा प्रत्यावर्तित [Restore] किये जाने का अनुरोध है ।

2/– सुसंगत अभिलेखों सहित आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :–

1. नाम ……………………………………………………………

2. जन्म दिनांक …………………………………………………

3. उस कार्यालय का नाम जहां संविलियन के पूर्व कार्यरत थे ………………

4. अर्हकारी सेवाओं के विवरणः–

(अ) शासकीय सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक ………………………

(ब) संविलियन के फलस्वरूप शासकीय सेवा छोड़नें का दिनांक ………………

(स) शासन के अंतर्गत की गई कुल अर्हकारी सेवा जो संविलियन पर अनुपातिक पेंशन स्वीकृत की जाने हेतु हिसाब में ली गई थी ……….

5. राज्य शासन के निगम/उपक्रम/स्वशासी संस्था/मंडल/निकाय में संविलियन का दिनांक (संविलियन की निबंधन एवं शर्तो की एक प्रति संलग्न की जाय) ………………………………………………

6. संविलियन के समय राज्य शासन के अंतर्गत धारित पदनाम/मूलवेतन /वेतनमान …………………………………………………………………

7. संविलियन के समय आयु ……………………………………………………

8. स्वीकृत अनुपातिक पेंशन की राशि (प्राधिकार पत्र की प्रति संलग्न की जाए) ……………………………………………………………

9. कम्यूट की गई पेंशन की राशि एवं भुगतान का दिनांक ....

10. प्राधिकारी जिसके द्वारा भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र जारी
किया गया ....

आवेदक के हस्ताक्षर

वचन–पत्र

मै .... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे विश्वास एवं ज्ञान के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है । मै समझता/समझती हूं कि बाद में यह जानकारी असत्य अथवा अशुद्ध पाई जाने की स्थिति में, मै पेंशन की पूरी प्रत्यावर्तित राशि एवं महंगाई राहत राशि शासन को प्राप्ति के दिनांक से वापिसी के दिनांक तक सामान्य भविष्य निधि के लिये लागू दर से ब्याज सहित एक मुश्त वापिस करने के लिये बाध्य रहूंगा/रहूंगी ।

दिनांक...............

पत्राचार का पता...............

आवेदक के हस्ताक्षर

पृष्ठां.क्रमांक 145/97/वित्त/नियम/चार/07,रायपुर,दिनांक 05.06.2007

ifrfyfi%&

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2 . सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड.शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अमिताभ शर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग